

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

प्रेषक,

श्री विजय प्रकाश,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

मंत्री आयुक्त एवं सचिव,
मंत्री सचिव,
मंत्री विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक- 23 जुलाई, 2004ई०

विषय:- मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले सलेखों के प्रतंग में मार्ग-दर्शन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किए जाने वाले सलेखों के निम्न बातों को ध्यान में रखा जाए :-

- 1- अवधि विस्तार के सलेख में पद सृजन संबंधी स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि के साथ-साथ इसके पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति के आदेश की संख्या एवं तिथि का स्थान उल्लेख कर दिया जायेगा ।
- 2- दण्ड के विरुद्ध समर्पित अपील के निष्पादन को प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखे जाने वाले सलेख में अपील में उठाये गये हर बिन्दु के संबंध में अभिलेखों में उपलब्ध तथ्य एवं संबंधित नियम/अनुदेश के आलोक में विभाग के मंतव्य का उल्लेख होना चाहिए ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ सलेख प्रस्ताव भेजते समय अनिवार्य रूप से किया जाय ।

विश्वासभाजन,

23/7/04
श्री विजय प्रकाश
सरकार के सचिव ।

23/7/04